रजिस्ट्री सं० डी० (डी०)-72

REGISTERED No. D.(D.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 380] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 20, 1979/भाद्र 29, 1901

No. 380] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 20, 1979/BHADRA 29, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय

(नागरिक पूर्ति विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 20 सितम्बर, 1979

का०आ० 536(अ).—केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दाल, खाने योग्य तिलहन और खाने योग्य तेल (भंडारण नियंत्रण) आदेश, 1977 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :—

1. (1) इस आदेश का नाम दाल, खाने योग्य तिलहन और खाने योग्य तेल (भण्डारण नियंत्रण) संशोधन आदेश, 1979 है।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. दाल, खाने योग्य तिलहन और खाने योग्य तेल (भण्डारण नियंत्रण) आदेश, 1977 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) के खण्ड 2 में,—

(i) उपखण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित उपखण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(क) "बड़े उपभोक्ता" से कोई होटल, जलपान गृह, हलवाई, छात्रावास की सुविधा युक्त, शैक्षणिक संस्था, अस्पताल या धार्मिक या पूर्त संस्था अभिप्रेत है ;"

(ii) उपखण्ड (ञ) में "या विनिर्माण" शब्दों के स्थान पर, जहां कहीं भी वे आए हैं, "विनिर्माण या परिष्करण" शब्द रखे जाएंगे।

3. उक्त आदेश के खण्ड 4 में,—

(1) उपखण्ड (i) के तृतीय परन्तुक में, "खाने योग्य तिलहन या सरसों" शब्दों के स्थान पर "या खाने योग्य तिलहन" शब्द रखे जाएंगे,

(ii) उसके नीचे सारणी में,—

(क) स्तम्भ (2) के शीर्ष में, "खाने योग्य तिलहन या सरसों" शब्दों के स्थान पर "या खाने योग्य तिलहन" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) स्तम्भ (3) के शीर्ष के स्थान पर निम्नलिखित शीर्ष रखा जाएगा, अर्थात् :—
"मशीन से बनी गई दालों या खाने योग्य तेल, जिनके अन्तर्गत परिष्कृत तेल भी है, तैयार स्टाक की मात्रा,"

(ग) मद 2 में, स्तम्भ (1) में, "सरसों के तेल से भिन्न" शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(घ) मद 3 और उससे सम्बद्ध प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(iii) अन्तिम परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रखा जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु इस खण्ड की कोई भी बात किसी ऐसे कमीशन अभिकर्ता को लागू नहीं होगी जो दालों या खाने योग्य तिलहनों के अपने द्वारा प्राप्त किए गए किसी परेषण को ऐसे प्राप्त करने की तारीख से पन्द्रह दिन की अवधि तक नहीं रखता है।"

4. उस आदेश के खण्ड 7क के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"7. ख. न्यूनतर भण्डारण सीमा नियत करने की शक्ति—
यदि राज्य सरकार न्यायोचित और पर्याप्त कारणों से ऐसा करना आवश्यक समझती है तो वह खण्ड 4 में विनिर्दिष्ट अधिकतम सीमा के भीतर साधारणतया या किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाने वाली शर्तों के अधीन रहते हुए, कोई भण्डारण सीमा नियत कर सकती है :

परन्तु केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना इस खण्ड के अधीन कोई भी अधिसूचना जारी नहीं की जाएगी।"

[सं० 11/17/79-ई०ओ०पी]

आई० एम० सहाय, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES

(Department of Civil Supplies)

ORDER

New Delhi, the 20th September, 1979

S.O. 536(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Pulses, Edible Oilseeds and Edible Oils (Storage Control) Order, 1977, namely :—

1. (1) This Order may be called the Pulses, Edible Oilseeds and Edible Oils (Storage Control) Amendment Order, 1979.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In clause 2 of the Pulses, Edible Oilseeds and Edible Oils (Storage Control) Order, 1977 (hereinafter referred to as the said Order),—

(i) for sub-clause (a), the following sub-clause shall be substituted, namely :—

'(a) "bulk consumer" means a hotel, a restaurant, a halwai, an educational institution with hostel facilities, a hospital, or a religious or charitable institution';

(ii) in sub-clause (j), for the words "or manufacturing", wherever they occur, the words "manufacturing or refining" shall be substituted.

3. In clause 4 of the said Order,—

(i) in the third proviso to sub-clause (1), for the words "edible oil-seeds or mustard seeds", the words "or edible oilseeds" shall be substituted ;

(ii) in the Table thereunder,—

(a) in the heading of column (2), for the words "edible oilseeds or mustard seeds", the words "or edible oilseeds" shall be substituted ;

(b) for the heading of column (3), the following heading shall be substituted, namely :—

"Quantity of finished stock of milled pulses or edible oils including refined oil" ;

(c) in item 2, in column (1), the words "other than mustard oil" shall be omitted ;

(d) item 3 and the entries relating thereto shall be omitted ;

(iii) for the last proviso, the following proviso shall be substituted, namely :—

"Provided also that nothing in this clause shall apply to a commission agent who does not retain any consignment of pulses or edible oilseeds received by him for a period exceeding fifteen days from the date of its receipt."

4. After clause 7A of the said Order, the following clause shall be inserted, namely :—

"7B. Power to fix lower stock limits.—The State Government may, if it considers it necessary for just and sufficient reason, by notification in the Official Gazette, fix any stock limit within the maximum limits specified in clause 4, either generally or for any specified period, subject to such conditions and may be specified in the notification :

Provided that no notification under this clause shall be issued except with the previous approval of the Central Government".

[File No. 11/17/79-EOP]

I. M. SAHAI, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1979